



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.14()शैक्ष. 11/मदसविवि/2024/ 22262

दिनांक: 07.08.2024

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.18(10) शिक्षा-4/2020 पार्ट-00485 दिनांक 08.07.2024 के क्रम में विद्या परिषद की 77वीं बैठक दिनांक 23 जुलाई, 2024 के मद संख्या 06 के निर्णय की पालना में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा की प्रवेश नीति में गैप के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किये जाने के प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कुलसचिव

क्रमांक: एफ.14()शैक्ष. 11/मदसविवि/2024/ 22262-747

दिनांक: 07.08.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर (राज0)
2. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक-4, आरकेएस संकुल जे0एल0एन0 रोड, जयपुर (राज0)-302017
3. समस्ता विभागाध्यक्ष/प्रभारी, शैक्षणिक विभाग, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर
4. समस्त प्राचार्य, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय।
5. संयोजक, विवरणिका समिति, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. ऑन लाईन प्रवेश समिति, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. परीक्षा नियंत्रक, मा.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
8. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मा.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
9. उप कुलसचिव शैक्षणिक-1, मा0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
10. निजी सचिव- कुलपति, मा0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।
11. निजी सहायक- कुलसचिव, मा0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर।

उप कुलसचिव (शैक्ष. 11)

14/8/24
1-30 PM